The Rama University Uttar Pradesh Act, 2013

Act 1 of 2014

Keyword(s):
Board, Society, Hostel, Existing College, Department, Teacher of the University

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम सं०–15

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टु पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2014

पौष 20, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 46/79-वि-1–14-1(क)-8-2013

लखनऊ, 10 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013 पर दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है

रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

रामा एजुकेशनल सोसाइटी, कानपुर द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएँ

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति–कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय, संस्था, केन्द्र और विद्यालय के प्रधान से है या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है और इसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी हैं;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारिवर्ग के अन्य सदस्य भी हैं;

(ज) "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विलय करना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास से है;

(ठ) "संस्था/कॉलेज" का तात्पर्य इस अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में स्थापित, अनुरक्षित, शैक्षणिक संस्था अथवा कॉलेज से है और इसमें चिकित्सालय, स्वास्थ्य और शोध केन्द्र सम्मिलित हैं;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत रामा एजुकेशनल सोसाइटी, कानपुर से है;

(त) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र या शोध छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक और किसी अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) कानपुर, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी द्वारा रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4—सोसाइटी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :—

(क) न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24,000 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पाँच करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर स्थापित करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा शोध के प्रयोजन के लिए विभागों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति करेगी और अवस्थापना सुविधाएँ स्थापित करेगी;

(ङ.) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य व्यवस्था के लिए परिनियम और अध्यादेश बनायेगी; और

(च) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनकी अपेक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5—**(1)** राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए प्रायोजक निकाय को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी से प्राप्त, इस आशय के अभिलेख सहित कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गयी हैं, प्रस्ताव का सत्यापन करने के पश्चात् प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6—विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:—

(क) शिक्षा में नूतनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण, विशिष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षण, संतत् शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के एकीकृत एवं समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की प्रोन्नति करना; और

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तःक्रिया करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव एवं चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्ध शास्त्र, होटल एवं सत्कार प्रबन्धन, विधि एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शनशास्त्र, समाज विज्ञान, कला (ललित कला एवं संगीत सहित) इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रतिष्ठित आचार्य (प्रोफेसर इमेरिटस) के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र एवं उपाधि या अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना तथा समुचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण, अनुदेश तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत दूरस्थ/पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश और विदेश के प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए परिसरों, संघटक महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों में और ऐसे अन्य केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के भीतर आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना और छात्रों एवं कर्मचारीवर्ग के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण सम्बन्धी कियाकलापों को प्रोन्नत करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय स्थापित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) शुल्क और अन्य प्रभारों को विहित करना, माँग करना और भुगतान प्राप्त करना;

(द) छात्रों एवं कर्मचारीवर्ग के लिए स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, पाठ्येतर/पाठ्य–सहवर्ती एवं मनोरंजन सम्बन्धी कार्यकलाप, क्रीड़ा एवं खेल–कूद इत्यादि की प्रोन्नति हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों, छात्रावासों, आवासों, क्रीड़ा स्थलों, सभागारों इत्यादि को स्थापित और अनुरक्षित करना;

(ध) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाय;

(प) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(फ) विश्वविद्यालय के उत्थान हेतु सोसाइटी के परामर्श से अंशदान, दान एवं अभिदान प्राप्त करना और पट्टे, किराये या विक्रय के आधार पर किसी सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन और व्ययन करना;

(ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के विरुद्ध आडमान करके या बन्धक रखकर उधार लेना;

(भ) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें; और

(म) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8–(1) विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सांविधिक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति–कुलाधिपति,

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति;

(ड़) कोषाध्यक्ष;

(च) कुलसचिव;

(छ) वित्त अधिकारी;

(ज) परीक्षा नियंत्रक;

(झ) प्रवेश नियंत्रक;

(ञ) निदेशक / प्राचार्य;

(ट) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ठ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(ड) मुख्य कुलानुशासक; और

(ढ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधि किये जायें।

कुलाधिपति

11–(1) कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी ३ जायेगी जैसी विहित की जाएं।

(2) कुलाधिपति सोसाइटी को सम्बोधित स्व–लिखित पत्र द्वारा अपना सकेगा।

(3) कुलाधिपति अपनी पदीय हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रमुख तथ सभापति होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

प्रति–कुलाधिपति

12–(1) प्रति–कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी के परामर्श से कुलाधिपति वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) प्रति–कुलाधिपति, कुलाधिपति के दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान उसकी अनुपस्थिति में बैठकों एवं किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति–कुलाधिपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्व–लिखित पत्र द्वारा अपन सकेगा।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, नियोजन बोर्ड एवं अन्य अध्यक्ष होगा तथा वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और निय और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।

(3) कुलपति की राय में यदि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्र शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत–कार्यवाही से उस प्रा अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विच कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति व उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार हो आदेश के संसूचित किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस व विरुद्ध अपील करे और तदुपरान्त कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही संशोधित या उपान्तरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन विहित किये जांय।

प्रति–कुलपति

14–(1) प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसे f जांय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति आचार्य के रूप में अप साथ–साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति–कुलपति, जैसी और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन–३ कर्तव्यों के निर्वहन में कलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रति–कुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसी विहित की जाय।

कोषाध्यक्ष

15–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसे विहित किये जांय।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक आय–व्ययक, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में सोसाइटी एवं कुलपति को परामर्श देगा और विश्वविद्यालय के वित्त पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेगा।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसे विहित किये जांय।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

वित्त अधिकारी

17–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसे विहित किये जांय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन–सचिव होगा।

परीक्षा नियन्त्रक

18–परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसे विहित किये जांय।

निदेशक / प्राचार्य

19–संघटक महाविद्यालयों के निदेशक अथवा प्राचार्य की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसे विहित किये जांय

अन्य अधिकारी

20–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, जिनमें प्रवेश नियंत्रक, संकायों के संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक भी हैं, की नियुक्ति की रीति और शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) नियोजन बोर्ड;

(ङ) वित्त समिति;

(च) परीक्षा समिति;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) संकाय बोर्ड;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि आदि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) सभा एक प्रमुख परामर्शी निकाय होगी। इस अधिनियम, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए उपायों हेतु सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी मामले के सम्बन्ध में जो उसे संदर्भित किया जाय, परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसे विहित किये जांय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जायें।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

नियोजन बोर्ड

25–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक प्राधिकरणों के मानकों को पूर्ण करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

वित्त समिति

26–(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की देख–भाल करने के लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

परीक्षा समिति

27–परीक्षा समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

अन्य प्राधिकारी

28–विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति, संकाय परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, के गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

परिनियम बनाने की शक्ति

29–(1) कार्य परिषद् कुलाधिपति के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई परिनियम, जिससे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संख्या तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, तब तक नहीं बनाया जायेगा, जब तक कि उसका प्रारूप सोसाइटी द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों, जिनका समय–समय पर गठन किया जाय, का गठन, उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग की किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) सेवा–नैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों तथा विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों को वापस लेना;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य संघटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना और उनका समाप्ति;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि प्रस्तावित परिवर्तनों पर ऐसे प्राधिकारी को लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति सम्बन्धित प्राधिकारी को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी या कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को तदनुसार उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

30–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रमों का निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, संस्थाओं, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों आदि तथा अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत् निकाय और संघ भी हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझे जायें, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुपरीक्षकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक; और

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

विनियम

31–(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या निकाय उसके कार्यों के संचालन के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) कार्य परिषद्, सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को किसी विनियम को रद्द करने या संशोधित करने का निर्देश दे सकती है।

वार्षिक रिपोर्ट

32–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशाधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जाय और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

33–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड लेखाकारों की अनुभवी और अर्ह फर्म, जिसकी नियुक्ति सोसाइटी के अनुमोदन से की जायेगी, द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् की संवीक्षाओं सहित सभा एवं कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर की गयी प्रत्येक संवीक्षा सभा और कार्य परिषद् की जानकारी में लाई जायेगी और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात् वे संवीक्षाएँ, यदि कोई हों, कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

34–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया या काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा जो कर्मचारी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसको निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर विवाद का निर्णय करेगी।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी विधि न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

(5) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका निर्णय अन्तिम रूप से कुलपति द्वारा किया जायेगा।

अपील का अधिकार

35–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और कल्याणकारी योजना

36–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा विहित किया जाय।

प्राधिकरणों और निकायों के गठन में विवाद

37–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

38–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या नामांकित या सहयोजित किया था, ऐसी अवधि के लिए जिसका प्राविधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

40–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

41–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता को प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

42–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

43–(1) सोसाइटी कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से, जैसे विहित किया जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

44–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सभी शुल्क जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गए सभी अंशदान और अभिदान की राशि।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी; अर्थात्:–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनार्थ किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त दिए गए सभी अंशदान, अभिदान की राशि एवं भेंट आदि; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

46–धारा 43, 44 एवं 45 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

47–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

48–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लिया जायेगा।

सूचनाओं एवं अभिलेखों को मांगने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

49–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा माँग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों या उसके अन्तर्गत बने अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

50–(1) यदि सोसाइटी अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करती है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

51–(1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का व्ययन करके किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

52–(1) जहाँ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की मूल प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो तीन माह से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के उपबन्धों के कुप्रबन्ध या उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के अभिकथन की जाँच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जाच आधकारा का इस आधानयम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतया निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:–

(क) किसी साक्षी को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी।

(6) यदि यह अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो दो मास से कम न हो, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय। विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन कार्यान्वयन के पूर्व प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

53—राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन/ मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों की प्रास्थिति

54—ऊपर उल्लिखित किसी उपबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्वों सहित सोसाइटी में निहित हो जायेंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

55—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतया, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उस उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि रामा एजूकेशनल सोसाइटी, कानपुर जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित कानपुर में रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको निगमित किया जाय जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधा प्रदान की जा सके।

तदनुसार, रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 46(2)/LXXIX-V-1–14-1(Ka)-8-2013

Dated Lucknow, January 10, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rama Vishwavidyalaya Uttar Pradesh Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 10, 2014.

THE RAMA UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2013

(U. P. ACT NO. 1 OF 2014)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching University sponsored by the Rama Educational Society, Kanpur at Kanpur in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Rama University Uttar Pradesh Act, 2013.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;

(c) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" mean respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice Chancellor of the University;

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) "Director/Principal" means the head of an Institution, a College, a Centre and a School or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;

(f) "Department" means a Department of Studies and includes Centre of Studies and Research;

(g) "employee" means any person appointed by the University and includes a teacher or any other member of the staff of the University;

(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(i) "existing college" means a college or an institution which imparts education and is proposed to be merged and maintained by the University;

(j) "Faculty" means a Faculty of the University

(k) "hostel" means students' hostel of the University ;

(l) "Institution/ College" means an academic institution or college established, maintained by the University in accordance with this Act and the Statutes and includes hospital, health and research centre;

(m) "prescribed" means prescribed by Statutes,

(n) "records and publications" mean the Records and Publications of the University;

(o) "Society" means the Rama Educational Society, Kanpur registered under the Societies Registration Act, 1860;

(p) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;

(q) "student" means a student or scholar enrolled in the register of the University;

(r) "teacher of the University" means a Professor, an Associate Professor/ Assistant Professor or a Lecturer and any other person appointed for imparting education, instruction, training or conducting research in the University and is designated as teacher by the Ordinances;

(s) "University" means the Rama University Uttar Pradesh established under section 3.

Establishment of the University

3. (1) The University shall be established at Kanpur in Uttar Pradesh by the Society by the name of the Rama University Uttar Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate.

Conditions for the establishment of the University

4. The sponsoring body, the Society shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely:-

(a) duly possesses minimum 50 acres contiguous land;

(b) construct on the land referred to in clause (a) buildings of atleast 24,000 sq. metre carpet area, out of which atleast 50 percent shall be for academic and administrative purposes;

(c) install equipments in offices and laboratories worth minimum rupees five crore in the building referred to in clause (b);

(d) appoint teachers and establish infrastructure of the departments for the purpose of teaching and/or research in atleast seven subjects as per the standards laid down by the University Grants Commission;

(e) make the Statutes and the Ordinances for the administration and functioning of the University; and

(f) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled for the establishment of the University.

Starting of the University

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Sponsoring Body a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

(2) The State Government shall issue the letter of authorization after verifying the proposal alongwith documents received from the Society to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

Objects of the University

6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instruction, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of -

(a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) inter-disciplinary studies; and

(d) national integration, secularism, social equity and engineering of international understanding and ethics.

Powers of the University

7. The University shall have the following powers, namely:-

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to impart and promote the study of Agriculture and Animal Husbandry, Science, Engineering and Technology, Bio and Medical Sciences, Dental Science, Pharmacy, Management, Hotel and Hospitality Management, Law and other professional courses and also History, Culture, Commerce, Economics, Humanities, Philosophy, Social Sciences, Arts (including Fine Arts and Music) etc. through in- campus, off- campus, offshore- campus and satellite centres or by conducting centres or by distance education programmes etc.;

(c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of Professor Emeritus;

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates and to confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed ;

(f) to provide education, instruction and training including distance/ correspondence and such other courses to such persons, who are not members of the University;

(g) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, Lecturerships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments to the same;

(h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(i) to appoint/engage persons working in any other University or organization having specific knowledge permanently or for a specified period;

(j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or authority or institution in India and abroad in such manner and for such purposes as the University may determine;

(k) to establish and maintain campuses, constituent colleges, schools, institutions, hospitals, research centres and such other centres, specialized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) to establish and maintain and supervise residences, hostels within the University and promote the health and general welfare activities for students and staff;

(n) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(o) to establish a centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes;

(p) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;

(q) to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges;

(r) to establish and maintain health centres, hospitals, hostels, residences, play-grounds, auditoriums etc., to promote the health, general welfare, extra /co-curricular and recreational activities, games and sports etc. for students and staff;

(s) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(t) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University ;

(u) to make arrangements for promoting the health and general welfare of students and employees of the University;

(v) to receive contributions, donations and subscriptions and to acquire, hold, manage and dispose of any property through lease, rent or sale in consultation with the Society for advancement of the University;

(w) to borrow by way of hypothecation or mortgage against the property of the University with the approval of the Society for the purposes of the University;

(x) to appoint, either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University; and

(y) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Admissions and Standards

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made by the University in accordance with the laws for the time being in force.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by it are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other regulatory authorities.

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission or other statutory bodies.

University open to all classes and creeds

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office herein or to graduate thereat:

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens shall be regulated by the laws and orders of the State Government for the time being in force.

Officers of the University

10. The following shall be the officers of the University-

(a) the Chancellor;

(b) the Pro-Chancellor;

(c) the Vice-Chancellor;

(d) the Pro-Vice Chancellor;

(e) the Treasurer;

(f) the Registrar;

(g) the Finance Officer;

(h) the Controller of Examinations;

(i) the Controller of Admissions;

(j) the Director/Principal;

(k) the Dean of Faculties;

(l) the Dean of Students' Welfare;

(m) the Chief Proctor; and

(n) such other officers as may be declared by the statutes to be officers of the University.

The Chancellor

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Society in such manner and on such conditions as may be prescribed.

(2) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the Society, resign his office.

(3) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall constitute interim Executive Council.

The Pro-Chancellor

12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a period of three years in consultation with the Society and he shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and preside at meetings and at any convocation in his absence.

(3)The Pro-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office.

The Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Planning Board and other Bodies of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the statutes or the ordinances :

Provided further that any authority or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Chancellor within one month from the date on which a decision on such action is communicated to him and thereupon the Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro Vice-Chancellor

14. (1) The Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be prescribed.

The Treasurer

15. (1) The Treasurer shall be appointed by the Society in consultation with the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Treasurer shall advise the Society and the Vice-Chancellor in all financial matters including annual budget, annual auditing, allocation of funds etc. and shall have the general supervision and control over the finances of the University.

The Registrar

16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

The Finance. Officer

17. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

The Controller of Examination

18. The Controller of Examinations shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Director/ Principal

19. The Director / Principal of a Constituent College shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Other Officers

20. The manner of appointment and powers and functions of other officers of the University including the Controller of Admissions, the Dean of Faculties, the Dean of Students Welfare and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

21. The following shall be the authorities of the University:-

(a) the Court;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council;

(d) the Planning Board;

(e) the Finance Committee;

(f) the Examinations Committee;

(g) the Admissions Committee;

(h) the Board of Faculties;

(i) such other authorities as may be declared by the statutes to be authorities of the University.

The Court

22. (1) The constitution of the Court and the term of office etc. of its members shall be such as may be prescribed.

(2) The Court shall be a Principal Advisory Body Subject to the provisions of this Act, it shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it;

(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

23. (1) The Executive Council shall be the Principal Executive Body of the University.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Planning Board

25. (1) The Planning Boafd shall be the Principal Planning Body of the University. The Board shall ensure that the infra-structure and academic support system meet the norms of the University Grants Commission or other regulatory authorities.

(2) The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

26. (1) The Finance Committee shall be the Principal Financial Body of the University to take care of the financial matters.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.

The Examinations Committee

27. The constitution of the Examinations Committee, the term of office of its member and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Other Authorities

28. The constitution, powers and functions of the Admissions Committee, Board of Faculties and of such other authorities of the University which may be declared by the statutes to be authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

Power to make statutes

29. (1) The Executive Council with the approval of the Chancellor shall make statutes for carrying out the purposes of this Act :

Provided that no Statute, effecting the number and emoluments of employees or the income or expenditure of the University shall be made unless a draft of the same has been approved by the Society.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other Bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance of the members of the said authorities, filling of vacancies of the members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff, and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;

(g) the principles governing seniority of service of employees;

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline amongst the students;

(n) the establishment and abolition of Departments, Centers and other constituent Institutions/Colleges etc.;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters which by this Act are to be or may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may direct the concerned authority to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the concerned authority is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the concerned authority or the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

Powers to make Ordinances

30. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instructions and examinations;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of centers of studies, Boards of Studies, institutions, inter-disciplinary studies, special centers, specialized laboratories, hospitals, research centers *etc.* and other committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and national and international authorities including learned bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileser of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators; and

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes.

Regulations

31. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or body of the University may make regulations for the conduct of business thereof.

(2) The Executive Council may direct any authority or body of the University other than the Court to cancel or to amend any regulation.

Annual Report

32. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider it in its annual meeting.

(2) The Court shall submit the annual report to the Chancellor alongwith its comments, if any.

Annual Account & Balance Sheet

33. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once atleast every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute who will be appointed with the approval of the Society.

(2) A copy of the annual accounts, together with the audited report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor alongwith the observations of the Executive Council.

(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and the observations, if any, shall after being reviewed by the Executive Council, be submitted to the Chancellor for his approval.

Conditions of Service of employees

34. (1) Every employee of the University shall be appointed or engaged in accordance with the provisions made in the Statutes or Ordinances.

(2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council, who shall decide the dispute after affording a reasonable opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.

(4) The decision of the Chancellor shall be final and no suit or other legal proceedings shall lie in any court of law in respect of the matters decided by the Chancellor.

(5) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis, shall be heard and decided finally by the Vice-Chancellor.

Right to Appeal

35. (1) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council, Proctorial Board or Controller of Examinations, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such order or copy of such resolution by him in writing appeal to the Vice-Chancellor who may confirm, modify or reverse the decision of the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

(2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

Employees Provident Fund and welfare schemes

36. The University may constitute for the benefit of its employees such welfare schemes or provident fund or provide for such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Disputes as to the constitution of authorities and bodies

37. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Constitution of committees

38. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case, may think fit.

Filling of the vacancies

39. All vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body, who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become vacant. The person appointed or co-opted to such vacancy shall be a member of such authority or body for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.

Invalidity of proceedings

40. No act or proceeding of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Mode of proof of University records

41. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima-facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution, document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Publication of Statutes and Ordinances

42. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act, shall be made available in writing.

(2) Each new Statute or Ordinance made under this Act, shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.

Permanent Endowment Fund

43. (1) The Society shall establish a permanent endowment fund of atleast rupees ten crores.

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

General Fund

44. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Society; and

(d) all contributions and subscriptions made in this behalf by any person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

45. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely:-

(a) development fee, which may be charged from students;

(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;

(c) all contributions made by the Society;

(d) all contributions, subscriptions and donations etc. made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of fund

46. The funds established under sections 43, 44 and 45 shall subject to general supervision and control of the Court, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Financial conditions

47. The University shall not be eligible for any grant-in-aid or any financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

48. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with law for the time being in force.

Powers of the State Govt. to call for information and records

49. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances, made thereunder, may issue such directions to the University as it may deem necessary.

Dissolution of University

50. (1) If the Society proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

51. (1) The expenditure of administration of the University during taking over the liabilities of the University under section 50 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund.

(2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

De-recognition of the University

52. (1) Where the State Government receives a complaint that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act, it shall require the University to show cause, within such time, which shall not be less than two months, referring a copy of the complaint, as to why the University should not be de-recognized.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that *prima-facie* case of mismanagement or violation of the provisions of this Act in the functioning of the University is made out, it shall order such inquiry as it may deem necessary.

(3) For the purposes of inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the inquiring authority to inquire into the allegation of violation of the provisions of this Act.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act, have all the powers of civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(d) receiving evidence on affidavits; and

(e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, the State Government shall direct the University to make necessary improvements and suggest for proper implementation of the provisions of this Act.

(6) If it is observed that the University is violating the provisions of the Act continuously for three times, the State Government may require the University to show

cause within such time which shall not be less than two months, as to why the University should not be de-recognized. If, upon receipt of the said reply of the University, the State Government is satisfied that *prima-facie* case of violation of the provisions of this Act, is made out, it may de-recognize the University by a notification published in the Official Gazette with prior approval of the University Grants Commission.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6), the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub- section (6) shall be laid before both Houses of the State Legislature before implementation.

Power of State Govt. to issue directions

53. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

Status of assets & liabilities on dissolution/ de-recognition

54. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and also the liabilities of the University shall be vested in the Society in case of dissolution or de-recognition of the University under any provision mentioned hereinabove.

Power to remove difficulties

55. (1) The State Government may for purposes of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient to do so:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be, after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty, as is referred to in that sub-section, existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education, it has been decided to establish and incorporate a teaching University at Kanpur in Uttar Pradesh by the name of Rama University, Kanpur sponsored by the Rama Educational Society, Kanpur registered under the Societies Registration Act, 1860 so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of courses, new methods of teaching and learning and integral development of personality.

The Rama University Uttar Pradesh Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 710 राजपत्र–2014–(1518)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 103 सा0 विधा0–2014–(1519)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।